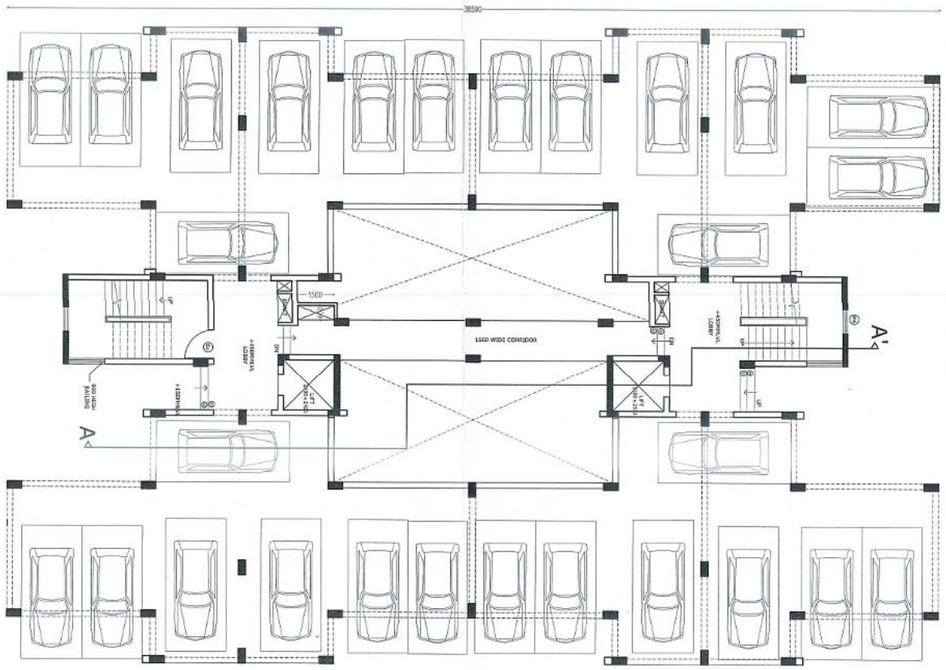

STILT FLOOR PLAN

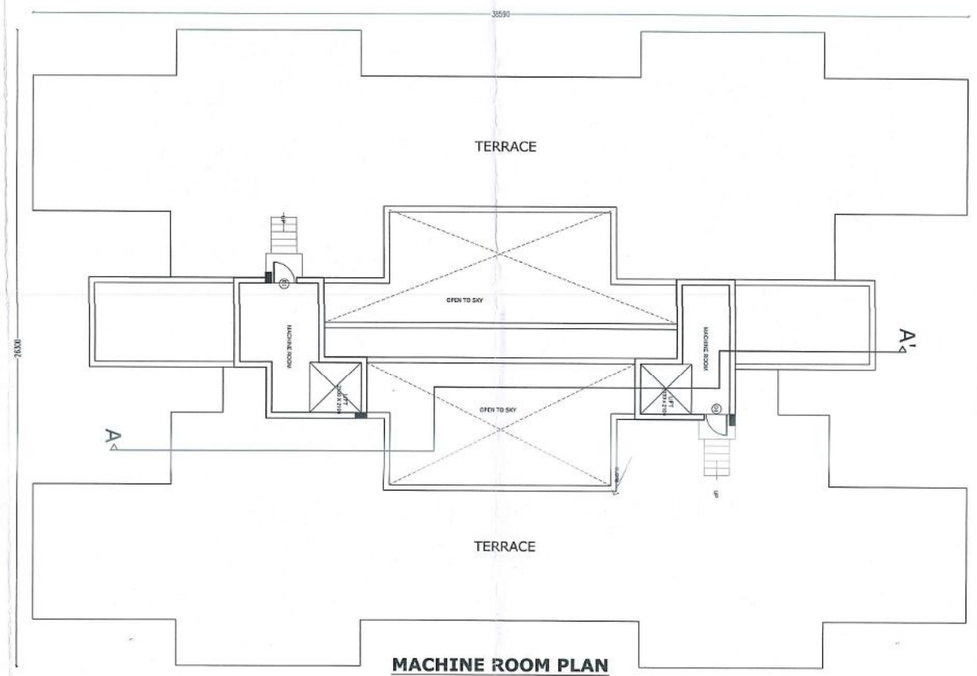

MACHINE ROOM PLAN

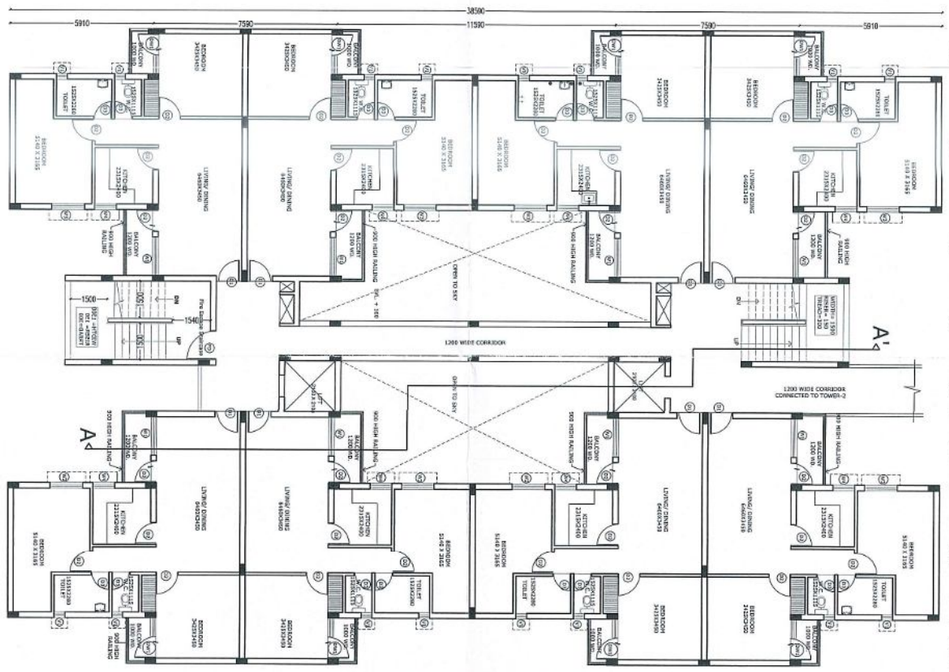

TYPICAL FLOOR PLAN (1ST TO 14TH)

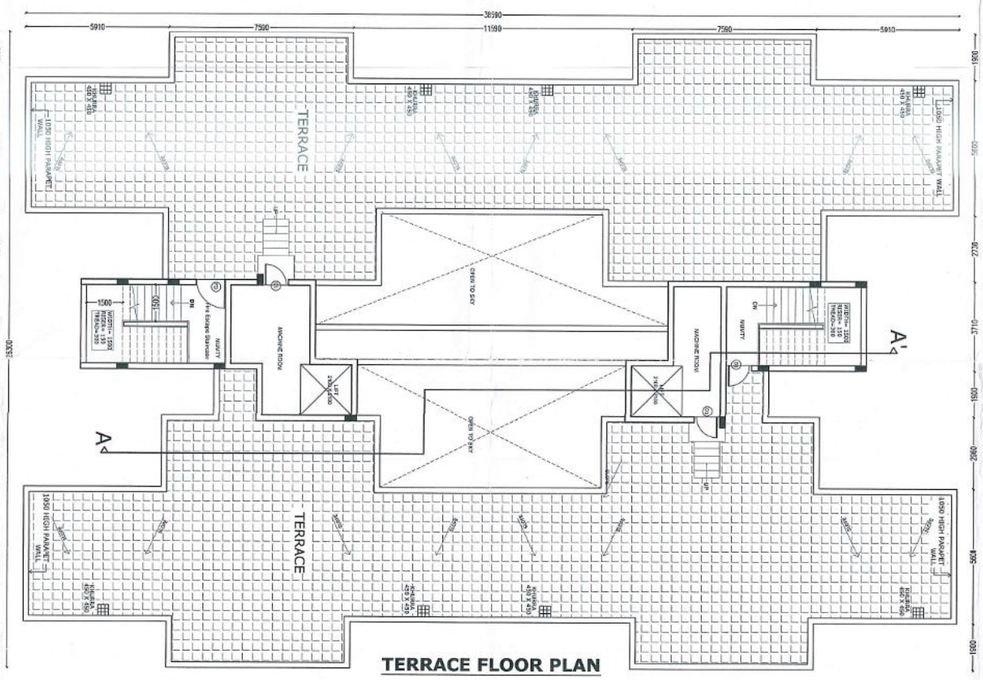

TERRACE FLOOR PLAN

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT

PROPOSED GROUP HOUSING-2 AT SECTOR-G, POCKET-5, SUSHANT GOLF CITY, HI-TECH TOWNSHIP, LUCKNOW

SCHEDULE OF OPENINGS

S.NO.	TYPE	SIZE	CILL	LINTEL
1	D1	1000 X 2100	0.00	2100
2	D2	900 X 2100	0.00	2100
3	D3	750 X 2100	0.00	2100
4	DW1	1670 X 2550	900	2550
5	FD	1200 X 2100	0.00	2100
6	W1	1600 X 1650	900	2550
7	W2	1000 X 1650	900	2550
8	W3	1350 X 1650	900	2550
9	W4	900 X 1500	1050	2550
10	V1	750 X 1050	1500	2550

प्रतिबन्ध

1 भू-स्थामित्व तथा भूमि धारा-सिवाय से सम्बन्ध में प्रकिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकार्य केवल उसी भूमि पर निकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। मुख्यरूप से जिस रूसरा गम्बर का स्थामित्व शाम रूपा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष मे नही है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्वेशन/अभिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष मे न हो जाये।

2 वर्तमान शासनादेश के क्रम मे लेण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार पुष्पारोपण अनिवार्य होगा।

3 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा। स्ट्रक्चर ड्राइंग व डिजाईन बामला नेहरू इन्स्टीटियूट आफ टेक्नोलोजी, सुल्तानपुर (उ0प्र0) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एच0 डी0 एन0सी0 वार्ष्णेय से पैट करवाकर प्रस्तुत की है, जिसको निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शपथ-पत्र दिनांक 22.03.2018 के अनुसार आई.आई.टी. से पैट करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की दशा मे मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।

5 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के अनापत्ति पत्रांक नं0-31/एफ.एस.-2018 दिनांक 05.02.2018 के निर्देशों का पालन करना होगा।

6 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

7 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर सेंटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

8 अपार्टमैन्ट एक्ट-2010, सेवर एक्ट, नेशनल बिल्डिंग कोड, रेरा का अनुपालन के साथ निर्माण लागत का 1 प्रतिशत सेवर सेस जमा करना सुनिश्चित करना होगा।

9 स्थल पर सार्वजनिक कार्य से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

10 स्थल पर नामचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।

11 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्रकिकरण द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।

12 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त मान जाएगा।

13 विकासकर्ता को प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2018 मे उल्लिखित माननीय विमान भवन विभाग की अनापत्ति परिरेखा को भवनों तल तक निर्माण पूर्ण होने से पूर्व माननीय विमान भवन विभाग की अनापत्ति प्राप्तिकरण सुनिश्चित करना होगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विभाजन स्वामित्व के लिए विवश बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
पत्रावलि संख्या 42781
दिनांक 22-12-2017
स्वीकृत की वैधता दिनांक 21-12-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र लखनऊ

SUBMISSION DRG. (TOWER-1 TO 4)

DRAWING TITLE

FLOOR PLANS

DEALT BY	CHECKED BY
RAJ KAPOOR	Ar.SANDEEP SETH
SCALE 1:150	DATE October-2017

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ARCHITECT
TEAM ARCHITECTURE
ansal API Building lifestyles since 1963

CLIENT/ OWNERS
ansal API Building lifestyles since 1963
ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.
115,ANSAL BHWAN,
16, K.G. MARG, NEW DELHI - 110001.

Architect
Sandeep Seth
B. Arch.
CA/94/17834

ARCHITECT'S SIGNATURE

OWNER'S SIGNATURE

Revision No: R1

DRG.NO. -API/HI-TECH/GH-02/SEC-G/SUB/FL.PLAN-02/04